कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र --I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0--1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

SS(JPM)

2 4 AUG 2018

प्राप्ति तिथि

सेवा में,

A
27.8.18

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर
जिला-- मुंगेर

महाशय,

नगर निगम, मुंगेर के वर्ष 2016--17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1129 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14753/129 दिनांक– 20/08/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:--

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुंगेर

तनवीर हसन 20/08/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग * बिहार, पटना
पत्र पंजी
27 AUG 2018
संख्या 9321

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–1129/17–18
भाग –I
प्रस्तावना

1	कार्यालय का नाम	नगर निगम, मुंगेर
2	प्रशासन	
	महापौर	कार्यकाल
	श्रीमती कुमकुम देवी	1.4.2016 से 31.3.2017
	उपमहापौर	
	सुश्री बेबी चंकी	1.4.2016 से 31.3.2017
	नगर आयुक्त	
	श्री दिनेश दयाल लाल	1.4.2016 से 31.5.2016
	डा0 श्यामल किशोर पाठक	1.6.2016 से 31.3.2017
3	परीक्षित लेखा की अवधि	2016–17
4	लेखा परीक्षा की अवधि	18.12.2017 से 11.01.2018
5	विस्तृत जाँच माह	अगस्त, 2016
6	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट–II में दर्शाया गया है।
7	क्या पूर्व के नि0 प्र0 का अनुपालन किया गया	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाए।
8	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	श्री रणजीत कुमार कर्ण, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री सालकीन अहमद, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री बालमुकुंद, वरीय लेखापरीक्षक
9	पर्यवेक्षण अधिकारी का नाम	श्री प्रमोद कुमार सिंह, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
10	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
11	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार-- विमर्श हुआ	हॉ, दिनांक 11.01.2018 को नगर प्रबंधक, नगर निगम मुंगेर के साथ विचार– विमर्श हुआ।

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र
(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराई गई सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार कार्यालय इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

भाग– II (क)

कंडिका– 1 सी.एफ.एल स्ट्रीट लाईटों के अधिष्ठापन में वित्तीय नियमावली का पालन नहीं करने से रू. 54.04 लाख की हानि

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 126 में सार्वजनिक अधिप्राप्ति हेतु मापदण्ड के अनुरूप प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अपनाने हेतु प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, अधिप्राप्ति करने वाले संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्ति की जाने वाली सामाग्रियों की मात्रा के साथ– साथ उसकी गुणवता एवं प्रकार की विशिष्टियाँ स्पष्ट तौर से तय की जानी चाहिए। इस प्रकार तय की गई विशिष्टियाँ अपेक्षाधिक एवं गैर जरूरी आकृत्ति (फीचर्स) जिसका परिणाम अनावश्यक व्यय के रूप में हो, शामिल किये बिना संगठन के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए।

साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के कंडिका नियम 131 (द) में कहा गया है कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया में स्वेच्छाचारिता की समाप्ति एवं पारदर्शिता, प्रतिस्पर्द्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने एवं सभी सरकारी खरीद में पैसे के लिए सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं निष्पक्ष तरीका अपनाया जाना चाहिए। इसके लिए–

1. बोली दस्तावेज का मजमूनस्पष्ट होना चाहिए। सभी आवश्यक सूचनायें जिनकी आवश्यकता बोलीकर्त्ता को बोली भेजने में होती है, बोली दस्तावेज में साधारण भाषा में साफ– साफ वर्णित होनी चाहिए।
2. वांछित सामग्री की विशिष्टतायें साफ– साफ बिना किसी अस्पष्टता के वर्णित होना चाहिए ताकि बोलीकर्त्ता अर्थपूर्ण बोली भेज सके।
3. संविदा सामान्यतया उस न्यूनतम मूल्यांकित बोलीकर्त्ता को दी जानी चाहिए, जिसकी बोली प्रत्युत्तरदायी पायी जायें एवं जो बोली दस्तावेज में शामिल किये गये शर्त्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप संविदा को सन्तोषप्रद ढंग से कार्यान्वित करने की पात्रता एवं योग्यता रखता हो।

नगर निगम, मुंगेर के 13वीं/14वीं वित्त आयोग के रोकड़ बही के जॉच में पाया गया कि श्री महेन्दर बिल्डवेल को दिनांक 26.04.2016 को चेक सं0 684876 द्वारा रू 2994235/– भुगतान किया गया था। भुगतान से संबंधित संचिका में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से निगम के प्रत्येक वार्ड में 21 फीट पोल सहित 20–20 नग स्ट्रीट लाईट (सी.एफ.एल.–85 वाट) के अधिष्ठापन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना 1623 दिनांक 16.10.14 द्वारा दिनांक–03.11.2014 को समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। निविदा प्राप्ति की तिथि–10.11.2014 थी तथा निविदा दिनांक–08.01.2015 को खोली गई। निविदा में भाग लेनेवाले 11 फर्मों में से मेसर्स महावीरा बिल्डवेल प्रा0 लि, एक्जीविशन रोड, पटना को प्रति नग रू0 13,238.00 (दो वर्ष का रख– रखाव सहित) सफल घोषित किया गया। सफल निविदादाता के साथ एकरारनामा दिनांक– 30.01.2015 को किया गया तथा लाईट अधिष्ठापित किए जाने हेतु कार्यादेश पत्रांक 24 दिनांक 30.01.2015 को निर्गत किया गया था।

उक्त निविदा के अनुसार दिनांक 08.01.15 को तुलनात्मक विवरणी तैयार की गई। निविदा में 11 फर्म द्वारा भाग लिया गया था। इसमें से न्यूनतम दर रू. 6850/– श्री राजेश कुमार, मेसर्स श्री इलेक्ट्रीक, गॉधी चौक, मुंगेर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर भी निगम के 45 वार्डों में कुल 846 सी.एफ.एल. स्ट्रीट लाइटों के अधिष्ठापन हेतु मेसर्स महावीरा बिल्डवेल प्रा0 लि, एक्जीविशन रोड, पटना, जिसके द्वारा प्रस्तुत दर प्रति इकाई रू. 13238 था का चयन किया गया। इसके कारण नगर निगम निधि को 846 सोलर लाईट के अधिष्ठापन में कुल रू. 5404248/– का अधिक व्यय करना पडा।

नगर निगम द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना में सी0एफ0एल0 की मात्रा नहीं दर्शायी गई थी। निविदा आमंत्रण सूचना में स्ट्रीट लाईट की विशिष्टियॉ साफ– साफ अंकित नहीं की गई थी, जिससे निविदा में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बरकरार रहती तथा स्वेच्छाचारिता की संभावना भी नहीं रहती।

इस क्रय से संबंधित संचिका में संलग्न कार्यवाही बही के अनुसार दिनांक 29.01.15 को समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि क्रमांक 8 के निविदादाता का नमूना निम्न स्तर का है तथा क्रमांक 9 के निविदादता का नमूना निविदा में दिये गये मापदण्ड के अनुरूप है। इस समिति में किन तकनीकी विशेषज्ञों (विद्युत क्षेत्र) को शामिल किया गया था का उल्लेख कार्यवाही बही में दर्ज नहीं था तथा न ही उनका प्रतिवेदन संचिका में संलग्न था। जिसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि समिति द्वारा स्ट्रीट लाईट की कौन– कौन सी विशिष्टियों की तुलना की गयी थी एवं मेसर्स श्री इलेक्ट्रीक, गॉधी चौक, मुंगेर का नमूना कैसे मेसर्स महावीरा बिल्डवेल प्रा0 लि, एक्जीविशन रोड, पटना के नमूना की अपेक्षा निम्न स्तरीय था तथा समिति का निर्णय कैसे पक्षपातपूर्ण नहीं था।

जवाब में बताया गया कि स्ट्रीट लाईट हेतु वर्ष 2014 में प्रकाशित निविदा के संबंध में स्थानीय शिकायत के आधार पर वर्तमान में मामला निगरानी विभाग में जॉच के अधीन है।

निगरानी विभाग में मामले की जॉच की सूचना नगर निगम द्वारा दी गयी परन्तु लेखापरीक्षा में उठायी गयी आपत्तियों के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

कंडिका–2 आउटसोर्सिंग एजेंसी को नगर निगम के चालक उपलब्ध कराने के कारण नगर निगम को रू. 30.88 लाख की हानि

नगर निगम, मुंगेर के कुल 45 वार्डो से ठोस अपशिष्टों के उठाव का कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी सफल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी, गुलजार पोखर, मुंगेर को दिनांक 01.01.2016 से दिया गया था। निविदा के शर्त की कंडिका 15 के अनुसार स्वीकृत एन0 जी0 ओ0/एजेंसी को नगर निगम, मुंगेर में उपलब्ध सफाई उपकरणों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना था। कूड़ा उठाव हेतु नगर निगम, मुंगेर द्वारा सफल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी, गुलजार पोखर, मुंगेर को निर्गत कार्यादेश ज्ञापांक 2674/मा0 दिनांक 31.12.2015 के कंडिका 6 एवं सफल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी द्वारा किए गए एकरारनामा के कंडिका 3. के अनुसार कूड़ा उठाव कार्य के लिए नगर निगम मूंगेर में उपलब्ध जे0.सी0.बी0., ट्रैक्टर तथा टीपर का उपयोग आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा किया जाना था। इसके लिए इन वाहनों का दर क्रमशः रू 800 प्रति घंटा, रू 400 प्रतिदिन एवं रू 200 प्रतिदिन निर्धारित की गई थी। कार्यादेश एवं एकरारनामा के

स्वच्छ भारत मिशन के रोकड़बही तथा भाउचरों की जॉच में पाया गया कि वार्ड संख्या 12 के वार्ड पार्षद द्वारा नगर आयुक्त को सूचित किये जाने के बावजूद इस वार्ड के कुल 13 लाभुकों को स्वच्छ भारत मिशन मद से व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए राशि निर्गत की गयी थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

क0 सं0	लाभुक का नाम	लाभुक का खाता सं0	लाभुक का पता	भुगतान का भाउचर सं0	भुगतान करने की तिथि	भुगतान की गयी राशि रू. में
1	नीलम देवी	0141100019755	तोपखाना बाजार	57	27.10.16	7500
2	अशोक कुमार	74802200011000	घसियार	58	27.10.16	4500
3	मो0 अली	0141101003616	तोपखाना बाजार	61	30.10.16	7500
4	मीरा देवी	32010110115537	तोपखाना बाजार	62	09.12.16	7500
5	शंकर ठाकुर	50278528566	गुलजार पोखर	65	16.01.17	7500
6	रोजीरा खातुन	0141108019574	घसियार	65	16.01.17	7500
7	मो0 महफूज	32010110108423	घसियार	65	16.01.17	7500
8	रानी देवी	0141108019725	घसियार	65	16.01.17	7500
9	मो0 गुड्डु खान	0141108019803	घसियार	65	16.01.17	7500
10	मो0 चिक्कु खान	0141108019804	घसियार	65	16.01.17	7500
11	तारा देवी	50224199316	गुलजार पोखर	66	04.02.17	4500
12	मसो0 नीलम देवी	0141108019755	तोपखाना बाजार	66	04.02.17	4500
13	जरीना खातून	0141108019739	तोपखाना बाजार	69	03.3.17	4500
					योग	**85500**

इसके संबंध में नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया वार्ड पार्षद द्वारा दी गयी सूचना के बाद भी बहुत से लोगों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु आवेदन दिया गया था जिसके आलोक में समुचित जॉचोपरांत राशि आवंटित की गई।

नगर निगम कार्यालय का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि नगर निगम कार्यालय द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के सर्वे प्रतिवेदन के आधार पर व्यक्तिगत शौचालय की राशि का आवंटन न कर संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षद के सिफारिश पर राशियों का आवंटन किया गया था तथा जब वार्ड पार्षद द्वारा स्वयं यह सूचित किया गया था कि उनके वार्ड में कोई व्यक्ति खुले में शौच नहीं करते हैं और उनके वार्ड के सभी घरों में शौचालय बन चुका है तो उसके उपरांत लोगों को व्यक्तिगत शौचालय की राशि निर्गत करना उचित नहीं था।

कंडिका– 8 वाहनों के किराया की कटौती एजेंसियों के विपत्रों से नहीं करने के कारण रू. 10.72 लाख की हानि

नगर निगम, मुंगेर द्वारा चल सम्पत्ति विवरण बही का संधारण नहीं किया गया था। इसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि नगर निगम कार्यालय के पास कितने वाहन थे तथा उसमें से कितने वाहनों का परिचालन वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया गया था। नगर निगम, मुंगेर द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को भेजे गये ठोस अपशिष्टों के मॉनिटरिंग फॉर्मेट के अनुसार नगर निगम कार्यालय में कुल 36 (10 ट्रैक्टर तथा 26 टिपर) वाहन कार्यशील थे जो ठोस अपशिष्टों के परिवहन का कार्य कर रहे थे।

नगर निगम कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में बताया गया कि इन वाहनों का लॉगबुक संधारित नहीं किया गया है। इन वाहनों के उपयोग से संबंधित कोई अन्य अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

नगर निगम कार्यालय द्वारा नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के कूड़ा उठाव का कार्य एन0 जी0 ओ0 सफल ऐजूकेशनल बेलफेयर सोसाईटी, गुलजार पोखर, मुंगेर को दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1 से 15 वार्ड के डोर टू डोर कचड़ा संग्रहण का कार्य न्वॉलीटी वेलफेयर सोसाईटी, मुंगेर, 16 से 30 वार्ड के डोर टू डोर कचड़ा संग्रहण का कार्य महिला निकेतन, माधोपुर, मुंगेर तथा 31 से 45 वार्ड के डोर टू डोर कचड़ा संग्रहण का कार्य महिला विकास संस्थान, महद्दीपुर, मुंगेर को दिया गया था। इन चारों एजेंसियों को निर्गत कार्यादेश के अनुसार नगर निगम में उपलब्ध जे0सी0बी0 एवं ट्रैक्टर तथा टिपर को निर्धारित किराया दर पर लेना अनिवार्य था, जिसके किराये की कटौती कार्य के विरूद्ध समर्पित विपत्र से करनी थी। इन कार्यादेशों के विरूद्ध किस एजेंसी को कौन– कौन से वाहन कितनी संख्या में दिये गये थे का विवरण नगर निगम कार्यालय में संधारित नहीं था। इसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि किस एजेंसी को कौन से वाहन कितनी संख्या में दिये गये थे। नगर निगम कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार सफल ऐजूकेशनल बेलफेयर सोसाईटी, गुलजार पोखर, मुंगेर को जनवरी से मई 2016 की अवधि में 5 ट्रैक्टर तथा 4 टिपर एवं जून 2016 से 8 ट्रैक्टर तथा 4 टिपर कूडा उठाव कार्य के लिए दिया गया था। इसके अतिरिक्त न्वॉलीटी वेलफेयर सोसाईटी, मुंगेर को 6 टिपर, महिला निकेतन, माधोपुर, मुंगेर को 6 टिपर तथा महिला विकास संस्थान, महद्दीपुर, मुंगेर को 6 टिपर डोर टू डोर अपशिष्टों के संग्रहण के लिए जनवरी 2016 से दिया गया था।

सामान्यतः कूड़ा को विभिन्न स्थलों से संग्रहण करने तथा डंपिंग स्थल पर गिराने में समय लगता है तथा अन्य नगर निगमों में एक ट्रैक्टर एक दिन में औसतन तीन से चार ट्रिप ही नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन करते हैं। जबकि नगर निगम, मुंगेर द्वारा सफल ऐजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी को प्रति ट्रैक्टर प्रतिदिन 8 से 13 ट्रिप कूड़ा के परिवहन का भुगतान किया गया था जो कि कार्यावधि में संभव नहीं था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

क0 सं0	विपत्र का माह	विपत्र से कटौती किये गये कुल ट्रैक्टर का किराया	भुगतान किये गये ट्रिप की सं0	प्रति ट्रैक्टर प्रतिदिन ढुलाई किये गये औसत ट्रिप की सं0
1	जनवरी 2016	138	1836	13
2	फरवरी 2016	139	1822	13
3	मार्च 2016	153	1895	12
4	अप्रैल 2016	146	1912	13
5	मई 2016	161	1650	10
6	जून 2016	157	1611	10
7	जुलाई 2016	164	1499	9
8	अगस्त 2016	170	1541	9
9	सितंबर 2016	169	1498	9
10	अक्टूबर 2016	179	1690	9
11	नवंबर 2016	171	1440	8
12	दिसंबर 2016	169	1454	9
13	जनवरी 2017	171	1497	9
14.	फरवरी 2017	161	1426	9
15	मार्च 2017	169	1510	9
16	अप्रैल 2017	169	1494	9
17	मई 2017	170	1505	9
18	जून 2017	170	1489	9
19	जुलाई 2017	181	1610	9
20	अगस्त 2017	196	1758	9
		3303	32137	9.73

इन एजेंसियों को वाहनों को भाड़े पर देने के लिए ट्रैक्टर का भाड़ा प्रतिदिन मो0– 400/– रू0 तथा टिपर का भाड़ा प्रतिदिन मो0– 200/– रू0 निर्धारित किया गया था तथा निविदा के शर्त के अनुसार इन एजेंसियों को सफाई का कार्य सभी दिनों में (अवकाश के दिनों में भी) करना था। इनके भुगतान से संबंधित संचिकाओं की जॉच में पाया गया कि इन एजेंसियो द्वारा कभी वाहनों के खराब होने की सूचना भी कार्यालय को नहीं दी गयी थी। इन एजेंसियों को भुगतान किये गये विपत्रों की जॉच में पाया गया कि इनके विपत्रों से इनको दिये गये वाहनों के अनुसार निर्धारित भाड़े की कटौती नहीं करने के कारण नगर निगम निधि को कुल राशि रू. 1072000/– (दिये गये वाहनों की सं0 X माह के कुल दिवस X निर्धारित किराया प्रतिदिन) की हानि हुयी जिसका विवरण परिशिष्ट– IV पर दिया गया है।

जवाब में बताया गया कि एकरारनामा में उल्लिखित शर्तों के अधीन ही वाहनों के प्रयोग के आधार पर राशि की वसूली की गई है। वर्तमान निविदा में इसका प्रावधान किया गया है। साथ ही, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य का एकरारानामा वर्ष 2015 में सफल एजुकेशन को कार्यादेश –2662/सा0 दिनांक– 31.12.2015 से किया गया था। एकारारनामा में इस बात का उल्लेख है कि विभागीय वाहन का उपयोग निर्धारित किराये पर एन0जी0ओ0 द्वारा किया जायेगा। एन0जी0ओ0 को भुगतान ट्रीप के आधार पर वाहन चालक, सफाई जमादार एवं सफाई प्रभारी के प्रतिवेदन पर ही सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदन उपरांत किया जाता है। कूड़ा संग्रहण करने हेतु चुरंबा कंपोस्ट एवं पाँच न0 गुमटी संदलपुर, तथा पटना रोड ,हेरु दीयरा

समीप डंप किया जाता है जिनकी दूरी अपेक्षाकृत कम है। एकरारनामा में लॉगबुक के संधारण करने का उल्लेख नहीं रहने के कारण ही लॉगबुक का संधारण नहीं किया जा सका। वर्तमान में शहर को तीन भाग में बॉटकर निविदा की जा चुकी है जिसमें लॉगबुक संधारण का उल्लेख है।

नगर निगम का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि नगर निगम कार्यालय द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को जितने वाहन उपलब्ध कराये गये थे एकरारनामा के शर्तों के अधीन उनके भाड़े की कटौती नहीं की गयी थी और आउटसोर्सिंग एजेंसी को लाभान्वित किया गया था।

कंडिका– 9 योजना कियान्वयन में संवेदकों के विपत्रों से क्षतिपूर्ति राशि की कटौती नहीं रू. 1.66 लाख

मुंगेर नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अंतर्गत ग्रूप संख्या 28/2016–17 एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद के अंतर्गत ग्रूप संख्या 05/2016–17 की योजना संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस योजनाओं में संवेदक से विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं की गयी। योजना का विवरण परिशिष्ट– V पर है।

संवेदक एवं नगर निगम के बीच हुए एकरारनामा में शामिल ठेके की शर्त के क्लॉज–2 में संवेदक द्वारा कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किये जाने की स्थिति में संवेदक से प्राक्कलित राशि का 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से व अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि की कटौती करने का प्रावधान किया गया था।

उपर्युक्त योजनाओं की मापी–पुस्त व संचिकाओं की जॉच में पाया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अंतर्गत ग्रूप संख्या 28/2016–17 के कार्य को निर्धारित तिथि से 37 दिन विलम्ब से पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद के अंतर्गत ग्रूप संख्या 04/2016–17 की योजना के लिए कार्यादेश दिनांक 30.5.2016 को जारी किया गया था परन्तु विवाद के कारण पुनः दिनांक 12.8.2016 को कार्यादेश जारी किया गया जिसमें दिनांक 11.9.2016 तक कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया था। परन्तु संवेदक द्वारा कार्य को 69 दिन विलम्ब से पूरा किया गया। नगर निगम कार्यालय द्वारा एकरारनामा की शर्तों के अनुसार संवेदकों के विपत्रों से क्षतिपूर्ति राशि क्रमशः रू. 79200/– (792000 का 10 प्रतिशत) एवं रू. 86590/– (865900 का 10 प्रतिशत) की कटौती नहीं की गयी जिसके कारण नगर निगम निधि को रू. 165790/– (79200+ 86590) की हानि हुई।

ग्रूप संख्या 28/2016–17 के कार्य में संवेदक द्वारा योजना को पूर्ण करने के लिए समयावधि विस्तार हेतु न तो आवेदन दिया गया न ही कार्यालय द्वारा कोई समय विस्तार स्वीकृत किया गया। ग्रूप संख्या 04/2016–17 की योजना में समय बढ़ाने हेतु संवेदक द्वारा दिनांक 22.8.2016 को आवेदन दिया गया था परन्तु कार्यालय द्वारा कोई समय– विस्तार की स्वीकृति नहीं दी गयी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में बताया गया कि संवेदकों के विपत्र से क्षतिपूर्ति राशि की वसूली कर ली जाएगी।

अतः लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब के आलोक में कार्रवाई की जाय।

कंडिका– 10 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं करने के कारण रू. 91.73 लाख की राजस्व हानि

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 128 एवं 228 में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर– घर से प्रभार संग्रह के लिए शुल्क एवं दण्ड निर्धारित करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना सं0– 3/UIG रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके लिए उपभोक्ता की श्रेणी को चार कोटि –(क) आवासीय (ख) गैर आवासीय (ग) स्वास्थ्य सेवा संस्थान (केवल गैर बायो–मेडिकल वेस्ट) एवं (घ) अन्य में बांटी गयी है और अलग अलग दर (रू. 30 से रू. 3000 के बीच) निर्धारित किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 में किए गए प्रावधान एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0– 3/UIG रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के आलोक में नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की गयी जबकि डोर टू डोर कचरा संग्रह का कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कराया गया। नगर निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्या का आकलन भी नहीं किया गया। नगर निगम में वर्ष 2016–17 के प्रारम्भ में कुल होल्डिंग्स की संख्या 25480 थी। इन उपभोक्ताओं से उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं करने के कारण नगर निगम को कम से कम रू. 9172800/- (25480x30x12) की हानि हुयी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में बताया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत उपभेक्ताओं की विभिन्न श्रेणी तय करने हेतु जल्द ही सर्वेक्षण करा लिया जायेगा। नियमानुसार उपभोक्ता शुल्क वसूली हेतु वर्तमान में प्रकिया प्रारंभ की गई है। सड़क के किनारे फुटपाथ पर कचड़ा फेंकने के एवज में मो0 16242/– रुपया जुर्माना के रुप में वसूल की गई है। साथ ही, वर्ष 2016–17 में वसूली नहीं की जा सकी, परन्तु 2017–18 में वसूली कराने हेतु निविदा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन्हीं संस्थानों से उपभोक्ता की श्रेणी का वर्गीकरण करा लिया जाएगा।

सरकार की अधिसूचना के आलोक में राशि वसूलने की कार्रवाई नहीं करने का कारण नहीं बताया गया। साथ ही, शुल्क की राशि रू. 9172800/- की वसूली करने के संबंध में भी कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

कंडिका–11 जलापूर्ति मद में उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं किये जाने के कारण नगर निगम को राजस्व हानि रू. 91.91 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 128(i) के आलोक मे नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति कार्य में व्यय की गयी शत प्रतिशत राशि को वसूलने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

के अधिसूचना संख्या 3/यू आई जी– रिफॉर्मस–10/12–1250 दिनांक 12.7.13 द्वारा नगर निगम क्षेत्रों में जलापूर्ति मद में उपभोक्ता–शुल्क की उगाही हेतु दर निर्धारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है–

	उपभोक्ता की श्रेणी		
क	आवासीय	पाईप का व्यास	न्यूनतम मासिक शुल्क (₹) में
i	बहुमंजिली ईमारत	1/2"	80.00
ii	स्वतंत्र मकान/बंगला	1/2"	120.00
ख	वाणिज्यिक/औद्योगिक/सरकारी/सांस्थानिक/अन्य	1/2"	600.00
ग	**नया जलापूर्ति कनेक्शन**		
i	बहुमंजिली इमारत एवं स्वतंत्र मकान	1/2"	2000
ii	वाणिज्यिक/औद्योगिक/सरकारी/सांस्थानिक/अन्य	1/2" से अधिक	10000

उपर्युक्त मद में बकाया भुगतान नहीं होने पर संबंध विच्छेदन के उपरांत पुनः स्थापन कराने का शुल्क रू. 2500/– निर्धारित किया गया।

अंकेक्षण में प्रस्तुत संचिका एवं पंजी के अनुसार नगर निगम, मुंगेर द्वारा वर्ष 2016–17 में 29 कनेक्शन दिया गया था जबकि इसके पूर्व तक कितना कनेक्शन दिया जा चुका था, का विवरण संचिका एवं पंजी में नहीं पाया गया। नगर निगम कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गए आंकड़ों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2015–16 तक कुल 6370 कनेक्शन दिया गया था। वर्ष 2016–17 में दिए गए कनेक्शन का विवरण निम्न प्रकार है –

क्रम संख्या	वर्ष	स्वतंत्र मकानों में दिए गए जलापूर्ति कनेक्शनों की सख्या	पाईप का व्यास
1	वर्ष 2015–16 के अंत तक दिए गए जल कनेक्शन की कुल संख्या	6370	1/2"
2	2016–17 में दिए गए जल कनेक्शन की संख्या	0	1/2"
	अप्रैल 2016	1	
	मई 2016	4	
	जून 2016	3	
	जुलाई 2016	5	
	अक्तूबर 2016	4	
	दिसम्बर 2016	2	
	जनवरी 2017	2	
	फरवरी 2017	2	
	मार्च 2017	6	
	2016–17 के अंत तक जल कनेक्शन की कुल संख्या	**6399**	

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार नगर निगम द्वारा जलापूर्ति शुल्क की वसूली न्यूनतम दर पर भी नहीं करने के कारण वर्ष 2016–17 में कम से कम रू.9190800/– (6370x120x12+1x120x11+4x120x10+3x120x9+5x120x8+4x120x5+2x 120 x 3 +2x 120x 2+2x120x1) की आर्थिक हानि हुई।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु P.H.E.D के माध्यम से पाईपलाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। AMRUT शहर में शामिल होने के कारण हर घर नल–जल योजना के अंतर्गत B.R.J.P द्वारा घरेलू कनेक्शन दिया जाना है। नगर निगम मुंगेर द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था अत्यधिक पुरानी होने के कारण रोस्टर के आधार पर आंशिक रुप से जलापूर्ति की जा रही है जिसके कारण उपभोक्ता शूल्क की वसूली कम हुई है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि उपभोक्ता शुल्क की वसूली की ही नहीं गयी। सरकार की अधिसूचना के आलोक में उपभोक्ता शुल्क वसूले जाने हेतु आवासों की श्रेणी–वार जलापूर्ति कनेक्शन की सूची तैयार नहीं करने एवं उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं करने का कारण नहीं बताया गया। साथ ही, हानि हुई रू. 9190800/– की वसूली के संबंध में भी कोई जबाव नहीं दिया गया। अतः शुल्क की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

कंडिका– 12 बैंकों द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण न्यूनतम रू. 15.00 लाख की हानि

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 81 में नगरपालिका निधि की किसी लेखा शीर्ष में जमा अतिरिक्त धन को रखने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत नगरपालिका निधि के अतिरिक्त धन को राज्य सरकार द्वारा अनुमादित लोक प्रतिज्ञप्ति अथवा लघु बचत स्कीम में निवेश किया जाना है अथवा ब्याज सहित अनुसूचित बैंक में जमा किया जाना है।

नगर निगम, मुंगेर द्वारा अंकेक्षण में बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन में पाया गया कि राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों को वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में 21 विभिन्न बैंक खातों में रखा गया था। इन खातों की जॉच में पाया गया कि इनमें से चार खातों में बैंक द्वारा ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान अन्य 17 बैंकों द्वारा बचत खातों पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि का भुगतान किया गया था। चार बैंकों द्वारा ब्याज की राशि का भुगतान नहीं करने के कारण नगर निगम कार्यालय को न्यूनतम राशि रू. 1500199 की हानि हुयी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

क0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	मद का नाम जिसकी राशि रखी गयी थी	राशि रखने की अवधि	दिनों की संख्या	न्यूनतम उपलब्ध राशि रू0 में	नहीं दी गयी ब्याज की राशि रू0 में
1	विजया बैंक	844100301000053	अमृत योजना	26.7.16 से 30.11.16	129	60309400	852593
				01.12.16 से 18.1.17	49	61309400	329223
				19.1.17 से 31.3.17	62	4399400	29892
2	विजया बैंक	844100301000035	स्वच्छ भारत मिशन	01.4.16 से 13.7.16	74	11317000	91776
				14.7.16 से 07.9.16	56	9875403	60605
				08.9.16 से 30.9.16	23	8396403	21164
				01.10.16 से 25.10.16	25	8133303	22283
				26.10.16 से 08.1.17	76	4622803	38502
				09.1.17 से 11.1.17	3	2890303	950
				12.1.17 से 26.2.17	15	10110803	16620
				27.2.17 से 01.3.17	3	5468303	1798
				02.3.17 से 31.3.17	30	9120372	29985
3	एच डी एफ सी	50200022935540	रिवॉलविंग खाता	यह खाता दिनांक 11.1.17 को खोली गयी थी तथा दिनांक 31.03.17 तक इसमें न्यूनतम राशि रू0 713 और अधिकतम राशि रू0 5250561 थी।			0
4	भारतीय स्टेट बैंक	32318548870	स्पर	01.4.16 से 31.3.17 इस खाते में बैंक द्वारा AC keeping fee के रूप में रू0 632.50 की कटौती की गयी थी।		120193	4808
					योग		**1500199**

नगर निगम कार्यालय द्वारा उपरोक्त तीन बैंकों से कभी पृच्छा नहीं की गयी थी कि उनके यहाँ संधारित चार बैंक खाताओं में ब्याज का भुगतान क्यों नहीं किया गया था।

नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि बैंक से पत्राचार कर सूद की राशि केडिट करा ली जाएगी।

अतः दिए गए उत्तर के आलोक में कार्रवाई की जाय।

कंडिका–13 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय योजना के कियान्वयन में अनियमितता

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण से संबंधित अभिलेखों और रोकड़बही की लेखापरीक्षा में निम्न अनियमितताएँ पायी गयीं:–

1. **लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाना:–** नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में 922 तथा 2016–17 में 1844 व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा था। लेकिन नगर निगम, मुंगेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया। पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग ने सितंबर 2016 में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्यों को पुर्ननिर्धारित कर 2766 कर दिया। लेकिन वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि तक मात्र 448 व्यक्तिगत शौचालय का ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था जो लक्ष्य का मात्र 16 प्रतिशत था।
2. **जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के बगैर द्वितीय किस्त के राशि का भुगतान किया जाना:–** नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3733 दिनांक 19.8.15 की कंडिका (vi) में निदेश

दिया गया था कि लाभार्थी द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान के लिए लिखित अनुरोध करेंगे तथा उनके इस आवेदन के सत्यता की जॉच नगर निकाय कर्मी द्वारा की जाएगी और तत्पश्चात उनके द्वारा अन्तिम किस्त के भुगतान की अनुशंसा की जाएगी। लेकिन इससे संबंधित अभिलखों की जॉच में पाया गया कि शौचालय निर्माण के सत्यता की जॉच नगर निकाय द्वारा नहीं करायी गयी थी तथा भुगतान भी बगैर निकायकर्मी के अनुशंसा के की गयी थी।

3. **शौचालय विहीन परिवारों को ही राशि का भुगतान संदिग्धः**– नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 2012 दिनांक 27.9.16 के अनुसार माह जून 2016 में विभाग द्वारा सभी नगर निकायों में निर्धारित मापदंड के आधार पर सर्वे किया गया था। सर्वे के आधार पर राज्य के सभी नगर निकायों में निकायवार शौचालयविहिन परिवारों को चिन्हित किया गया था। इस सर्वे के आलोक में शौचालयविहिन घरों की संख्या नगर निगम, मुंगेर में 12499 थी जिसमें से मार्च 2017 तक की अवधि में 2766 घरों में शौचालय निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन सर्वे सूची अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी तथा न ही लाभार्थियों के भुगतान भाउचरों में उनके सर्वे का क्रम संख्या दर्शाया गया था जिसके अभाव में सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि नगर निगम कार्यालय द्वारा व्यक्तिगत शौचालय की राशि रू0 20668500 का भुगतान सर्वे के अनुसार चयनित लाभार्थियों को ही की गयी थी।

4. **योजना का मॉनिटरिंग नहीं किया जानाः**– स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के मॉनिटरिंग के लिए District level review and monitoring committee प्रत्येक जिला में गठित करना था जो इस योजना की त्रैमासिक समीक्षा करता, बैठक में चर्चा किये गये बिन्दुओं से संबंधित कार्यवृत्त तथा अपनी सिफारिशों से राज्य सरकार को अवगत कराता। लेकिन अभिलेखों की जॉच में इस समिति के गठन एवं उसके द्वारा किये गये त्रैमासिक समिक्षा का कार्यवृत्त नहीं पाया गया।

नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि शौचालय निर्माण हेतु निर्धारित प्रकिया का अनुपालन करने के पश्चात ही लाभुकों को शौचालय निर्माण की राशि दी गई है। द्वितीय किस्त हेतु लाभुक के निर्माण स्थल का फोटो SBM पोर्टल पर लोड करने के पश्चात ही राशि खाते में अंतरित की जाती है। वर्तमान में योजना कार्य के पर्यवेक्षण हेतु तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। साथ ही जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों में भी योजनाओं की समीक्षा की जाती है। कर संग्रहकर्ता द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर ही द्वितीय किस्त की राशि दी गयी है। माह जून 2016 में बिहार सरकार के निदेश पर घर–घर सर्वेक्षण के आधार पर एवं SECC 2011 के द्वारा प्राप्त आंकड़े के आधार पर शौचालय निर्माण का लाभ दिया गया है।

नगर निगम कार्यालय का जवाब संतोषप्रद नहीं है। कार्यालय द्वारा माह जून 2016 में बिहार सरकार के निदेश पर किये गये शौचालयविहिन परिवारों का सर्वेक्षण अंकेक्षण में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही उसका क्रम संख्या लाभार्थियों के भाउचर के सामने दर्शाया गया था, जिसके अभाव में सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि शौचालयविहीन परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया गया था। साथ ही, द्वितीय किस्त निर्गत किये गये 448 लाभुकों में से किसी का भी जॉच प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। District level review and monitoring committee द्वारा द्वारा किये गये योजनाओं की समीक्षा का प्रतिवेदन भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

कंडिका–14 स्वच्छ भारत मिशन के रोकड़बही एवं बैंक खाते में रू. 397500 का अंतर

स्वच्छ भारत मिशन के रोकड़बही एव विजया बैंक के खाता सं0 844100301000035 की जॉच में पाया गया कि बैंक खाते में दर्ज की गई प्रविष्टियों को रोकड़बही में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

दिनांक	आहरण	जमा	अंतर
14.7.16	892500	1080000	
14.7.16		150000	
15.7.16		52500	
21.7.16	105000		
22.7.16	172500		
22.7.16	112500		
27.7.16	105000		
09.8.16		7500	
29.8.16		31500	
30.8.16		7500	
08.9.16		7500	
12.9.16	4500		
12.9.16	4500		
12.9.16	7500		
12.9.16	7500		
12.9.16	7500		
12.9.16	7500		
27.02.17	2310000		
29.3.17		2002500	
योग	**3736500**	**3339000**	**397500**

स्वच्छ भारत मिशन के रोकड़बही के पृष्ट सं0 22 पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की गयी थी जिसमें उपरोक्त राशि में से दिनांक 27.02.17 को बैंक द्वारा आहरण की गयी राशि रू. 2310000 के विरूद्ध रू0 2002500 बैंक द्वारा दिनांक 29.3.17 को जमा की गयी राशि का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त श्रीमती पुनम देवी तथा श्री पप्पु को निर्गत की गयी राशि क्रमशः रू0 7500 तथा रू0 7500 की निकासी नहीं होने का विवरण दर्ज था। इसके अलावे उपरोक्त अन्य आहरण एवं जमा के बारे में रोकड़बही में कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि बैंक पासबुक पर इसे बचत खाता दर्शाया गया था, लेकिन दिनांक 11.12.15 से दिनांक 02.12.17 (जिस अवधि के बैंक पासबुक की प्रविष्टि अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी) की अवधि में बैंक द्वारा इस खाते में कभी भी सूद की राशि जमा नहीं की गयी थी।

नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि इस संबंध में बैंक से पत्राचार कर पासबुक में की गई प्रविष्टि से संबंधित जॉच कर समाधान कर लिया जाएगा। तथा सूद के सबंध में भी पत्राचार किया जाएगा। दिए गए जवाब के आलोक में उपयुक्त कार्रवाई की जाय।

कंडिका–15 कूड़ा उठाव के लिए एज़ेन्सी के चयन एवं भुगतान में अनियमितता

नगर निगम, मुंगेर द्वारा दिनांक 01.01.2016 से अगले आदेश तक नगर निगम क्षेत्र के सफाई व्यवस्था हेतु निविदा पत्रांक–2422/सा0 दिनांक– 01.12.15 के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये निविदा से संबंधित संचिका की जॉच में पाया गया कि एन0जी0ओ0 डॉ0 संजीव कुमार सिन्हा, सचिव, सफल ऐजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी के प्रति टेलर ट्रिप का दर 396/– रू0 को स्वीकृत किया गया था।

नगर निगम कार्यालय के पत्रांक 2662/सा0 दिनांक 31.12.15 द्वारा वार्ड नं0 1 से 15 के लिए एन0जी0ओ0 सफल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी, गुलजार पोखर, मुंगेर के निविदा दर 396/– रू0 प्रति टेलर ट्रिप के दर को स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त पत्रांक 2673/सा0 दिनांक 31.12.15 द्वारा वार्ड नं0 16 से 30 तथा पत्रांक 2674/सा0 दिनांक 31.12.15 द्वारा वार्ड नं0 31 से 45 के सफाई व्यवस्था का

कार्यादेश भी एन0जी0ओ0 सफल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी, गुलजार पोखर, मुंगेर को दिया गया था। इन कार्यादेशों में उल्लेख किया गया था कि "आपके द्वारा समर्पित निविदा दिनांक–29/12/15 को संबंधित पदाधिकारी की उपस्थिति में खोला गया। परन्तु निविदा संफल नहीं हुई। जनहित एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए माननीय महापौर एवं सशक्त स्थायी समिति द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पूर्णतः अस्थायी रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत कूड़ा उठाव कार्य मो0–396/– रू0 प्रति टेलर ट्रिप के दर से स्वीकृति दी गई।"

सफल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी, गुलजार पोखर, मुंगेर का निबंधन 28.3.2007 को महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार, पटना द्वारा किया गया था जिसका उद्येश्य शैक्षणिक कार्य करना था। इस संस्था के उद्येश्य में नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण तथा परिवहन का कार्य नहीं दिया गया था। नगर निगम कार्यालय द्वारा इसके साथ किये गये एकरारनामा के कंडिका 4 के अनुसार एजेंसी को निविदा में प्रकाशित एवं कार्यादेश में निदेशित सभी शर्तों का पालन करना था। निविदा के शर्त की कंडिका 9 के अधीन नगर निगम, मुंगेर को एजेन्सी से किसी प्रकार का विवरण/अभिलेख मॉगने, देखने एवं नगर निगम कार्यालय में जमा करने का पूर्ण अधिकार था। लेकिन अंकेक्षण दल द्वारा बार– बार मॉगने के बावजूद एजेन्सी के वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 का अंकेक्षित बैलेन्स शीट, सफाई मजदूर रखने से संबंधित श्रम विभाग का प्राधिकार पत्र जिसके लिए आवेदन किया गया था, एजेंसी द्वारा कूड़ा ढुलाई में उपयोग किये गये वाहनों का लॉगबुक, कूड़ा उठाव में लगाये गये मजदूरों की उपस्थिति पंजी तथा वाहन एवं वार्डवार उनका ड्यूटी चार्ट और उनके द्वारा रख गये सफाई उपकरणों का भंडार पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यादेश के कंडिका 3 में उल्लेख किया गया था कि कूड़ा उठाव की सूची प्रतिदिन नगर निगम कार्यालय मुंगेर से एजेंसी को लेनी होगी तथा प्रतिदिन के कूड़ा उठाव कार्य की सूचना भी कार्यालय को देनी होगी, लेकिन अंकेक्षण में इन सूचनाओं को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अभाव में अंकेक्षण द्वारा इस एजेंसी को प्रति माह प्रति ट्रिप की दर से जनवरी 2016 से अगस्त 2017 की अवधि के लिए भुगतान की गयी राशि रू0 13360873/– के सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अंतिरिक्त निगम कार्यालय द्वारा भी सफल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी, गुलजार पोखर, मुंगेर द्वारा ढूलाई किये गये ट्रिपों का मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था एवं न ही डंपिंग स्थल पर आने–जाने वाले वाहनों के पंजी का ही संधारण किया गया था जिससे सुनिश्चित किया जाता कि कितने वाहनों द्वारा डंपिंग स्थल पर प्रतिदिन अपशिष्टों को गिराया गया था।

नगर निगम कार्यालय द्वारा एन0जी0ओ0 सफल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी, गुलजार पोखर, मुंगेर को किये गये भुगतान के संबंध में निम्न बिन्दूओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था, जिसका जवाब नगर निगम कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया एवं न ही मॉगी गयी सूचनाओं को प्रस्तुत किया गया:–

1. ठोस अपशिष्टों के परिवहन में लगे वाहनों का लॉगबुक एजेंसी द्वारा क्यों नहीं संधारित किया गया तथा नगर निगम कार्यालय द्वारा विपत्रों में दर्शाये गये ट्रिपों की संख्या का मिलान उससे क्यों नहीं किया गया?
2. जब वाहनों का लॉगबुक संधारित नहीं किया गया था, तो नगर निगम कार्यालय एजेंसी द्वारा प्रस्तुत विपत्रों में दर्शाये गये ट्रिप की संख्या के सत्यता की जॉच भुगतान करने से पूर्व किन अभिलेखों से किया था?
3. नगर निगम कार्यालय द्वारा शैक्षणिक कार्य करने के लिए निबंधित एन0 जी0 ओ0 को ठोस अपशिष्टों के संग्रहण तथा परिवहन करने का कार्य किस आधार पर दिया गया?
4. एजेंसी द्वारा कितने मजदूरों को रखकर कूड़ा परिवहन का कार्य किया गया था? उनकी उपस्थिति पंजी तथा वाहन एवं वार्डवार उनके ड्यूटी चार्ट की अंकेक्षण में मॉग की गयी, लेकिन उसे अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सफल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी को आवेदित लेबर लाईसेंस के विरूद्ध उन्हें कितने लेबर रखने का लाईसेंस दिया गया था, की प्रति कृप्या अंकेक्षण में दिखलायी जाए।

5. संचिका में संलग्न सफल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाईटी के वित्तीय वर्ष 2013–14 के "Details of fixed assets" के विश्लेषण में पाया गया कि एजेंसी के पास सफाई मजदूरों को दिये जाने वाले सुरक्षा सामग्री जैसे– हैण्ड गलब्स, जूता, ड्रेस, सुरक्षा टोपी एवं कूड़ा उठाने से संबंधित सफाई उपकरण नहीं थे। इस एजेंसी के पास सिर्फ सिलाई/कढ़ाई से संबंधित मशीन, कम्प्यूटर तथा फर्निचर इत्यादि ही उपलब्ध थे जिससे अपशिष्टों के संग्रहण तथा परिवहन का कार्य नहीं किया जा सकता था। तो नगर निगम कार्यालय द्वारा किस आधार पर इस एजेंसी का चयन नगर निगम क्षेत्र से कूड़ा उठाव के लिए किया गया था?
6. कार्यादेश के कंडिका 3 के अनुपालन में प्रतिदिन के कूड़ा उठाव कार्य की सूचना को एजेंसी से क्यों नहीं प्राप्त किया गया था?

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में बताया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य का एकरारनामा वर्ष 2015 में सफल एजुकेशन को कार्यादेश –2662/सा0 दिनांक– 31.12.2017 से किया गया था। एकारारनामा में इस बात का उल्लेख है कि विभागीय वाहन का उपयोग निर्धारित किराये पर एन0जी0ओ0 द्वारा किया जायेगा। एन0जी0ओ0 को भुगतान ट्रीप के आधार पर वाहन चालक, सफाई जमादार एवं सफाई प्रभारी के प्रतिवेदन पर ही सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदन उपरांत किया जाता है। कूड़ा संग्रहण करने हेतु चुरंबा कंपोस्ट एवं पॉच न0 गुमटी संदलपुर, तथा पटना रोड, हेरुदीयरा के समीप डंप किया जाता है जिनकी दूरी अपेक्षाकृत कम है। एकरारनामा में लॉगबुक के संधारण करने का उल्लेख नहीं रहने के कारण ही लॉगबुक का संधारण नहीं किया जा सका। वर्तमान में शहर को तीन भाग में बॉटकर निविदा की जा चुकी है जिसमें लॉगबुक संधारण का उल्लेख है।

नगर निगम कार्यालय का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के आलोक में वाहनों के लॉगबुक का संधारण नगर निगम कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था तथा न ही चुरम्बा कम्पोस्ट ग्रउण्ड जहॉ अपशिष्टों को आउटसोर्सिंग एजेंसी को गिराना था में वाहनों के आने जाने से संबंधित पंजी का संधारण किया गया था। अर्थात् ट्रिप की गणना एवं उसके मॉनिटरिंग (जिसके आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान करना था) के लिए नगर निगम कार्यालय द्वारा कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था और आउटसोर्सिंग एजेंसी का भुगतान केवल कुछ लोगों के आउटसोर्सिंग एजेंसी के मासिक विपत्र पर किये गये सत्यापन पर किया गया था जो बगैर किसी अभिलेख के किया गया था। अतः आउटसोर्सिंग एजेंसी के विपत्रों में दर्शायी गयी ट्रिप के संख्या की सत्यता संदिग्ध थी।

कंडिका– 16 दुकान किराया की वसूली नहीं रू. 4.93 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2014 के नियम 62 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका की अपनी सम्पत्तियों का विवरण जैसे जमीन, दुकानें, शौपिंग कम्पलेक्स इत्यादि के मासिक किराये के सामायिक संग्रहण हेतु मांग बही बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या 23 में रखेगी तथा ससमय संग्रहण पर नजर रखेगी। यह विगत वर्षों के मांग तथा एकरारनामा पर आधारित होगा। प्रत्येक श्रेणी के राजस्व एवं अवस्थिति के अनुसार अलग– अलग पन्ने तैयार किए जाएंगे। मांग बही के अनुसार देय कुल किराया की गणना वार्षिक रूप से अप्रैल माह में उपार्जित मानी जाएगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नियमित रूप से कम से कम 6 महीनों में एक बार बही की जांच करेंगे तथा उसके सही होने को प्रमाणित करेंगे। मांग का भुगतान नगरपालिका कार्यालय में जमा करने की स्थिति में प्रत्येक भुगतान के लिए बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–15 में रसीद तुरंत निर्गत किया जाएगा। राशि प्राप्त होते ही रोकड़पाल द्वारा संग्रहण पंजी में लेखांकित किया जाएगा तथा मांग बही के सुसंगत कॉलम में पोस्ट किया जाएगा।

नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत दुकानों की पंजी के अनुसार नगर निगम के अधीन कुल 172 दुकानें थी। उक्त पंजी बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या 23 में संधारित नहीं की गयी थी। इसमें किराया की गणना नहीं की गयी थी तथा प्रति वर्ष प्राप्त राशि का उल्लेख भी नहीं था। पंजी में किसी भी सक्षम कर्मचारी/अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। बकाया दुकान किराया की विवरणी जिसके अनुसार दुकानों पर वर्ष 2016–17 में कुल बकाया किराया की राशि रू. 1617070 के विरूद्ध रू. 1124160/- की वसूली